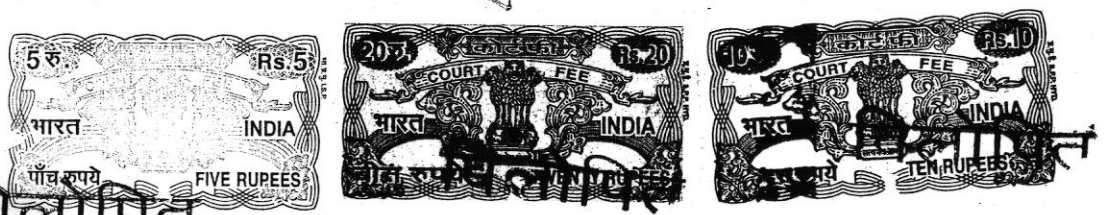

विलोपित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी-2843/2018/देवास/भू.रा. निगरानी कमांक /2018

श्री नितिन पंकज दुबे द्वारा आज दि. 10.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6.6.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. रम्भू पिता फुंदीलाल जाति कोरकू उम्र 60 वर्ष धंधा खेती, निवासी ग्राम बजवाडा तहसील खातेगॉव जिला देवास म.प्र
2. हीरालाल पिता फुंदीलाल जाति कोरकू उम्र 55 वर्ष धंधा खेती, निवासी ग्राम राजौर तहसील खातेगॉव जिला देवास म.प्र
3. रेवाराम पिता फुंदीलाल जाति कोरकू उम्र 50 वर्ष धंधा खेती, निवासी ग्राम राजौर तहसील खातेगॉव जिला देवास म.प्र
4. श्रीमती गीताबाई पति हरिसिंह पिता फुंदीलाल जाति कोरकू उम्र 60 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम सगौदा तहसील हण्डिया जिला हरदा
5. जगदीश पिता रम्भू जाति कोरकू उम्र 50 वर्ष धधां खेती एवं नौकरी, निवासी ग्राम बजवाडा तहसील खातेगॉव जिला देवास म.प.

-----**प्रार्थीगण**

विरूद्ध

1. रामपुरी पिता धन्नुपुरी उम्र 50 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम बजवाडा तहसील खातेगॉव जिला देवास
2. रतनपुरी पिता धन्नुपुरी उम्र 45 वर्ष धंधा खेती, निवासी ग्राम बजवाडा तहसील खातेगॉव जिला देवास म.प्र
3. श्रीमती ताराबाई पति रमपुरी उम्र 45 वर्ष धंधा खेती, निवासी ग्राम बजवाडा तहसील खातेगॉव जिला देवास म.प्र.
4. नारायणपुरी पिता धन्नूपुरी उम्र 60 धंधा खेती निवासी ग्राम बजवाडा तहसील खातेगॉव जिला देवा

----**प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता के तहत

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. के राजस्व अपील कमांक 28/अपील/2017-18 मे पारित आदेश दिनांक 26/04/2018 जिसमें प्रतिप्रार्थीगण कि अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी महोदय खातेगॉव के आदेश दिनांक 07.09.2017 को अपास्त किया गया से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निम्न आधारो पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण –

यह कि प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय खातेगॉव के समक्ष धारा 131 म.प्र. भु राजस्व साहिता के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिप्रार्थीगण आपस में सगे भाई है तथा प्रतिप्रार्थी कमांक 03 प्रतिप्रार्थी कमांक 01 की पत्नि है। प्रतिप्रार्थीगण की भूमि सर्वे नं. 215/2, 214, 212, 213, 201, 245, एवं 250 ग्राम बजवाडा तहसील खातेगॉव में स्थित है। जिसमें आने जाने का बहीवाटी रास्ता सर्वे नं. 202, 205, और 210 कि भूमि से हैं। उक्त रास्ते का उल्लेख नक्शे मे भी है। प्रार्थी कमांक 01 व 05 द्वारा उक्त रास्ते को टेक्ट्रर से बखर कर रोक दिया है। प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता ने जवाब प्रस्तुत किया और बताया कि प्रतिप्रार्थीगण का रास्ता शासकीय रास्ते से होकर सर्वे नं. 218 कि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2843/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 28/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 सहपठित धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया गया था कि सर्वे नं. 215/2, 214, 212, 213, 201, 245, 250 अनावेदक के नाम दर्ज है व भूमि सर्वे नं. 202, 205, 210 आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया था कि अनावेदकगण की भूमि में आने-जाने, कृषि उपकरण, मवेशी बैलगाड़ी आदि लाने-लेजाने का बहीवाटी रास्ता स्थित है। आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण का आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध किया गया जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के आधार पर सुनवाई कर अनावेदकगण के आवेदन को स्वीकार कर प्रश्नाधीन अवरुद्ध रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 07.09.2017 अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 26.04.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिए गए हैं कि अनावेदक का रास्ता शासकीय रास्ते से होकर सर्वे नं. 218 की दक्षिणी मेड़ पर से है और उक्त रास्ता आज मौके पर चालू है। इसी प्रकार सर्वे नं. 197 के शासकीय रास्ते से होते हुए नाले के किनारे-किनारे अनावेदक के खेत में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है, जिसका प्रयोग सर्वे नं. 211 का भूमिस्वामी रामेश्वर पवार भी करता है। बही भाटी रास्ते का उल्लेख नक्शे में नहीं होता है और अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष फर्जी नक्शा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के द्वारा बंदोवस्त के पूर्व के नक्शे की प्रमाणित प्रति कलेक्टर देवास से प्राप्त की गई है जिसमें किसी भी रास्ते का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक के द्वारा नक्शे की प्रमाणित प्रति कलेक्टर देवास से प्राप्त करने पर उसमें किसी भी रास्ते का उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा प्रकरण में फर्जी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश के पृष्ठ 7 के पैरा 10 में विस्तृत विवेचना की है। उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जी नक्शे पर विश्वास कर जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया तब सर्वे क्रमांक 202 की पूर्वी दिशा की 2.81 एकड़ भूमि पर अनावेदक नारायणपुरी का अवैध आधिपत्य पाया गया है ऐसी स्थिति में सर्वे क्रमांक 202 की पूर्वी मेड़ पर रास्ता रोकने वाली बात पूर्ण असत्य एवं मनगढंत प्रतीत होती है, किंतु इस ओर कोई ध्यान ना देते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि ग्राम बजबाड़ा के शासकीय रास्ते से होकर आगे लोटिया नाले के पश्चित तरफ से होकर आगे अनावेद्रक की भूमि सर्वे क्र. 215/2, 214, 213 व. 212 पर आते जाते हैं व कृषि उपकरण बिना किसी रुकावट के जाते जाते हैं, जिसका उपयोग भूमि सर्वे नं. 21 का भूमि स्वामी रामौतार पवार भी करता है जिसकी भूमि अनावेदक की भूमि से	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2843/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लगी हुई है एवं ग्राम बजबाड़ा के शासकीय रास्ते से होकर आगे सर्वे नं. 218 कि दक्षिणी मेड़ से होकर अनावेदक उनकी भूमि सर्वे नं. 215/2, 214, 213 व 212 पर आते जाते हैं व कृषि उपकरण बिना किसी रुकावट के जाते जाते हैं। इस प्रकार अनावेदक अपने खेत में जाने के लिए इन्हीं रास्तों का उपयोग कई वर्षों से कर रहे हैं। इन वैकल्पिक मार्गों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा अपने आदेश के पृष्ठ क्रमांक 06 पर विस्तृत विवेचना की गई है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त वैकल्पिक मार्गों का कोई उल्लेख नहीं किया है, ऐसा आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक क्र. 03 ताराबाई एवं 04 नारायणपुरी की भूमि दर्शाए गए रास्ते से लगी हुई नहीं है उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उक्त वैकल्पिक मार्गों के संबंध में अपने आदेश एवं स्थल निरीक्षण में कोई उल्लेख नहीं किया गया उसके बाद भी तहसीलदार के आदेश को सही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करवाया गया और सीमांकन अनुसार आवेदक की भूमि सर्वे क्र. 202 की पूर्वी दिशा की 2.81 एकड़ भूमि पर अनावेदक नारायणपुरी का अवैध आधिपत्य पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि सर्वे नं. 202 की पूर्वी मेड़ पर अनावेदक का आधिपत्य है तब आवेदक द्वारा सर्वे नं. 202 की पूर्वी मेड़ पर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रास्ता रोकने वाली बात पूर्णतः असत्य एवं मनगढंत प्रतीत होती है, किंतु इस ओर ध्यान न देते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, निरस्त किए जाने योग्य है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत जांच एवं साक्ष्य तथा विधिक प्रक्रिया जो अधिकार एवं कब्जे के मान से प्रमाणित पायी गई, के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 131 का है। जो अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने सर्वे क्र. 202 पर अनावेदक का कब्जा मानकर रास्ते पर से अवरोध हटाये जाने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के संपूर्ण तथ्य एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की विवेचना करते हुए इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अनावेदक को भूमि में आवाजाही के लिए पश्चिम दिशा में नोटिया नाले की तरफ से रास्ता उपलब्ध है, जिसके संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नही किया गया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया है कि अनावेदक का आवेदक के सर्वे क्र. 202 की भूमि पर अवैधात्मक कब्जा पाया गया है जिसके संबंध में तहसील खातेगांव में प्रकरण प्रचलित है। इस सर्वे नं. से अनावेदक वैकल्पिक मार्ग चाहते हैं। जिससे इस संभावना को बल मिलता है कि वह मात्र सुविधा की दृष्टि से अनावश्यक रूप से रास्ता चाहते हैं, जो अनुचित है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2843/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वार प्रकरण में आए तथ्यों का सही रूप से मूल्यांकन न करते हुए जो आधार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने के संबंध में लिए गए हैं, वह अनुचित हैं। अतः तथ्यों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण पुनः वैक ल्पक मार्गों का निरीक्षण कर तथा नक्शे के संबंध में असल रिकार्ड प्राप्त कर तथा उक्त नक्शे पर विचार कर एवं विस्तृत जांच कर तथा प्रकरण में आई साक्ष्य का उचित मूल्यांकन कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाए। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए यह प्रकरण तहसीलदार, खातेगांव को उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	